संख्या-10/2020/2012/71-4-2019-12/2017टी0सी0-1

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2020

विषयः- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में कार्यरत सीनियर व जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर एवं चिकित्सा अधिकारियों को 7 वें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी.आई.एम.एस./वित्त/2019/169, दिनांक 27.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में कार्यरत सीनियर व जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर एवं चिकित्सा अधिकारियों को 7 वें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में कार्यरत सीनियर व जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर एवं चिकित्सा अधिकारियों को 7 वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार के कार्मिकों के समान निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित दिनॉक 01 जनवरी, 2016 से पूर्व के वेतनमान के सादृश्य वेतनबैण्ड एवं ग्रेड पे के स्थान पर दिनॉक 01 जनवरी, 2016 से तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित उच्चीकृत/पुनरीक्षित वेतनमान (मैट्रिक्स लेवल में) अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-:

क्र0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान		प्रस्तावित वेतनमान
		वेतन बैण्ड(रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में)
1	2	3	4	5
1.	जूनियर रेजिडेन्ट्स प्रथम वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	5400/-	लेविल-10 रू0 56100-177500
2.	जूनियर रेजिडेन्ट्स द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	5400/-	लेविल -10 रू0 56100-177500
3.	जूनियर रेजिडेन्ट्स तृतीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	5400/-	लेविल -10 रू0 56100-177500
4.	सीनियर रेजिडेन्ट्स प्रथम वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	6600/-	लेविल -11 रू0 67700-208700
5.	सीनियर रेजिडेन्ट्स द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	6600/-	लेविल -11 रू0 67700-208700
6.	सीनियर रेजिडेन्ट्स तृतीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	6600/-	लेविल -11 रू0 67700-208700

1. सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित दर से वेतन का भुगतान दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य किया जायेगा।
2. भत्ते तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जायेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का एरियर देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. ऐसे सीनियर एवं जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर और चिकित्सा अधिकारी, जो रेजिडेन्सीशिप की अवधि पूरी करके संस्थान से चले गये हैं, उनको वेतन के पुनरीक्षित दर पर एरियर के भुगतान में कठिनाई होगी तथा प्रकरण में शिकायत की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतएव वर्तमान में कार्यरत सीनियर एवं जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर और चिकित्सा अधिकारियों को ही सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित दर से वेतनमान/भत्ते अनुमन्य होंगे।

3- उक्त तालिका में जिन पदों के वेतनमान उच्चीकृत किए गये है, उन पदों पर कार्यरत पदधारकों का वेतन निर्धारण मूल नियम-22 के उप नियम (क) के खण्ड (2)(ग) के अन्तर्गत किया जायेगा।

4-चिकित्सालय परिसर में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के दृष्टिगत जूनियर/सीनियर रेजिडेण्ट को आवास किराया भत्ता (एच0आर0ए0) अनुमन्य नहीं होगा।

5- जूनियर/सीनियर रेजिडेण्ट को अन्य अनुमन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर देय होंगे।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-3-303/दस-2020, दिनांक- 11 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 10/2020/2012(1)/71-4-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा सें,

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।